

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, जिला अशोकनगर म0प्र0

1. विभाग का नाम: खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,
जिला अशोकनगर म0प्र0
Office Contact No. 07543 225950
E-Mail Address : foodaskn@gmail.com

2. विभाग का सामान्य परिचय :-

1) जिला कार्यालय का पता- पॉलीटेक्निक कालेज परिसर
विदिशा रोड, अशोकनगर
जिला अशोकनगर म0प्र0
Landline No. 07543 225950

2) तहसील कार्यालय का पता-
मुंगावली - एस0डी0एम0 कार्यालय
अनुभाग- मुंगावली
Landline No. 07548 272200

चन्देरी - एस0डी0एम0 कार्यालय
अनुभाग- चन्देरी
Landline No. 07547 253300

ईसागढ - तहसील कार्यालय, ईसागढ
Landline No. 07541 244100

कार्यरत स्टॉफ की जानकारी :

- | | | |
|---|---|----|
| 1- जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला अशोकनगर | - | 01 |
| 2- सहायक आपूर्ति अधिकारी, अनुभाग मुंगावली | - | 01 |
| 3- कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अनुभाग अशोकनगर | - | 01 |
| 4- कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, अनुभाग चन्देरी | - | 01 |

सामान्य परिचय :

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग को निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर व केरोसिन उपलब्ध कराना । कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य प्राप्त हो इस हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान व मोटे अनाज का उपार्जन करना ।

डीजल/पेट्रोल तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG घरेलू गैस सिलेण्डर की उपलब्धता बनाये रखने हेतु संबंधित संस्था/एजेन्सी से नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कराना ।

pdfMachine

A pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

3. विभाग की प्रमुख योजनाएँ :-

1. **APL, BPL** एवं **AAAY** योजनाएँ ।
2. **APL** एवं **BPL** योजना के कार्ड बनाये जाने हेतु प्राप्त आवेदनों पर पात्रतानुसार कार्ड बनाये जाते हैं, इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है । जबकि **AAAY** योजना के अन्तर्गत राशनकार्डों का लक्ष्य शासन से निर्धारित है, जो जिले के लिए 25754 कार्ड का है ।
3. उक्त तीनों योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए निर्धारित है, पात्रतानुसार हितग्राहियों का जिसका लाभ दिया जा रहा है ।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत तथा हितग्राहियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य तथा उचित मात्रा में कराना ।
5. कृषकों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य प्राप्त हो इस उद्देश्य से गेहूँ, धान एवं मोटे अनाज का उपार्जन सहकारी समितियों के माध्यम से कराना ।
6. योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश के हितग्राहियों को पात्रतानुसार व सभी कृषक अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर विक्रय कर प्राप्त कर सकते हैं ।
7. लाभान्वित हिग्राहियों की जानकारी :-
APL हितग्राही - 105234 **BPL** हितग्राही - 62514 **AAAY** हितग्राही - 25754

4. विभाग की प्रमुख योजनाओं का कार्यक्षेत्र :-

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में 201 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न, शक्कर व केरोसिन का वितरण किया जा रहा है एवं सामान्य वर्ग के लिए भी शासन से निर्धारित मूल्य पर गेहूँ खाद्यान्न एवं केरोसिन प्रदाय किया जा रहा है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में 6 लीड संस्थाएँ कार्यरत हैं, जो अशोकनगर, ईसागढ, शाढौरा, मुंगावली व चन्देरी के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसिन का शासन नियमानुसार आबंटन अनुसार उठाव कर प्रदाय कर रही है तथा उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उक्त सामग्री उचित मूल्य पर हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जिले में 38 डीजल/पेट्रोल पम्प स्थापित है, जिनके माध्यम आमजन को पर्याप्त मात्रा में फ्यूल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर शासन निर्देशों के अनुरूप नियंत्रण रखा जा रहा है ।

जिले में वर्तमान में 5 गैस एजेन्सियाँ कार्यरत हैं, जिनके द्वारा जिले के समस्त उपभोक्ताओं को पर्याप्त गैस की आपूर्ति की जा रही है । उक्त एजेन्सियों पर भी शासन निर्देशों के अनुरूप नियंत्रण रखा जा रहा है ।